

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-2
संख्या- 1090 /सेक-2-पॉच-18-4(24)/2018
लखनऊ :: दिनांक 18 अप्रैल, 2018
कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित संयुक्त निदेशक ग्रेड के चिकित्साधिकारी, जो स्तम्भ-3 में अंकित पद एवं स्थान पर तैनात हैं, को जनहित में स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम/वरि० क्रमांक	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	डा० रवीन्द्र कुमार/ 5872	मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर	मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़
2.	डा० श्रीकान्त तिवारी /6500	मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़	मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर
3.	डा० जावेद अहमद /5887	मुख्य चिकित्साधिकारी, लखीमपुर खीरी	मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई
4.	डा० मनोज अग्रवाल /7797	वरिष्ठ परामर्शदाता, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ	मुख्य चिकित्साधिकारी, लखीमपुर खीरी
5.	डा० पद्म नारायण चतुर्वेदी/6583	मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई	मुख्य चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी
6.	डा० दीपेन्द्र मालवीय /7171क	मुख्य चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा

2- उक्त चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायें।

डा० नीरज शुक्ला
विशेष सचिव।

संख्या- (1)/सेक-2-पॉच-18, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (प्रथम), उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
4. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
5. मिशन निदेशक, एन०एच०एम०, उ०प्र०, लखनऊ।
6. अधिशासी निदेशक, उ०प्र० तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ को इस अनुरोध सहित कि उक्त आदेश को मानव सम्पदा साफ्टवेयर में अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. जिलाधिकारी, गोरखपुर/आजमगढ़/लखीमपुर खीरी/हरदोई/कौशाम्बी।

8. निदेशक, बलरामपुर चिकित्साल, लखनऊ।
9. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर/आजमगढ़/लखनऊ/इलाहाबाद/देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
10. मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर/आजमगढ़/लखीमपुर खीरी/हरदोई/कौशाम्बी।
11. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर/आजमगढ़/लखीमपुर खीरी/हरदोई/कौशाम्बी/गोण्डा।
12. संबंधित चिकित्साधिकारी।
13. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से कि वे संबंधित चिकित्सकों का प्रारूप-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जे०एल० यादव)

अनु सचिव।